खाद्य तेल के उत्पादन में कमी

*145. श्री नरेन्द्र मोहन:
श्री कपिल सिब्बल:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में खाद्य तेल के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत का खाद्य तेल उद्योग विदेशों से होने वाले खाद्य तेलों के आयात के कारण संकटग्रस्त हो चुका है, और क्या घरेलू खाद्य तेल उत्पादक उद्योग ने इस संकट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संकट के कारणों तथा प्रभाव के संबंध में किये गये आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास खाद्य तेल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कोई योजना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) तेल वर्ष 1996-97 में हुए खाद्य तेलों के उत्पादन की तुलना में तेल वर्ष 1997-98 में हुए खाद्य तेलों के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ख) मुख्यतया प्रतिकूल मौसम के कारण रबी मौसम में सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा था और चक्रवात के कारण आन्ध्र प्रदेश में खरीफ मौसम में मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा था और इनकी वजह से उत्पादन में गिरावट आई थी।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों का आयात किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और ये अभ्यावेदन विशेष रूप से विलायक निष्कर्षित तेल उद्योग से प्राप्त हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परिष्कृत खली के मूल्य में काफी गिरावट आने के कारण विलायक निष्कर्षण तेल उद्योग पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) खाद्य तेल उद्योग 35% से भी कम क्षमता का उपयोग कर रहा है। इसका मुख्य कारण कच्चे माल की कमी होना है। कृषि मंत्रालय ने तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की थी।

वेश्यावृत्ति को मान्यता प्रदान किया जाना

*146. श्रीमती सरोज दुबे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेश्यावृत्ति के पेशे को मान्यता देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति तथा उससे उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए उठाये जाने वाले संभावित कदम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) सरकार समाज में वेश्यावृत्ति की बुराई के प्रति बहुत चिंतित है तथा सरकार ने वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं तथा बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने और उन्हें पुनः संगठित करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना बनाई है। यह कार्य योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीड़ित महिलाओं तथा बच्चों के बचाव, पुनर्वास तथा पुनर्संगठन हेतु योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के लिए परामर्श एवं समन्वय प्रक्रिया तंत्र तैयार करने के लिए उन्हें भेज दी गयी है। सरकार ने दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-2 केवल महिला पुलिस स्टेशन तथा महिला पुलिस कक्षों की स्थापना, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों का पता लगाना और ऐसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना, बलात्कार के मामलों की सुनवाई ऐसे न्यायालयों में करना, जहां महिला मजिस्ट्रेट हो, पुलिस बलों में महिलाओं की अधिक भर्ती, महिलाओं के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना, अभिरक्षा में महिलाओं के साथ हिंसा के दोषी पाए गए सरकारी कर्मचारियों को अभिलम्ब एवं निवारक दण्ड देना, महिलाओं की हत्या बलात्कार तथा उन पर अत्याचार आदि के मामलों में जांच के लिए अनिवार्य रूप से समय-सीमा निर्धारित करना, शामिल हैं। राष्ट्रीय "एड्स" नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार वाणिज्यिक यौन कर्मियों में एच०आई०वी०/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने

तथा इसके संक्रमण को रोकने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों में शिक्षा, परामर्श, कन्डोम के प्रयोग को बढ़ावा देना, तथा यौन क्रिया द्वारा संक्रमित होने वाले रोगों का उपचार करना शामिल है।

सरकार भारतीय दण्ड संहिता, अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के उपबन्धों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के अलावा, महिलाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा आर्थिक शक्ति सम्पन्नता प्रदान करके महिलाओं और बच्चों, विशेषकर लड़कियों के स्तर में समग्र सुधार लाने के प्रयास कर रही है। महिलाओं के लिए रोजगार और आयोत्पादन स्कीमें चलायी जा रही हैं, जैसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता, महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आयोत्पादन एककों की स्थापना सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला कोष, स्व-रोजगार हेतु, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, तथा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना।

Female Literacy in Kerala

*147 MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the high female literacy level had given the State of Kerala much higher level of development indices than the national average; and

(b) if so, what is Government's reaction on other States emulating the policy of Kerala?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) High levels of female literacy in a society does lead to better utilization of socio-economic benefits and leads to higher levels of development indices especially in the fields of education, health, child-care and income generation.

Whereas the level of development indices are determined by the contribution of various socio-economic factors including literacy, high levels of literacy, especially female literacy, acts as an important catalyst for such development to take place. This fact is also true for the State of Kerala.

(b) There is no doubt that Kerala's overall social and educational conditions have contributed to the Development process of the State. This was a consequence of the liberal socio-economic policies of the native rulers, liberal social structure, higher status of women in society and a tradition of social reforms movements which had created a conducive environment for various development programmes.

The reaction of Government can only be positive if other States adopt methods of development based on expanding base of literacy especially female literacy. If an educationally oriented development approach is adopted, pace of development is expected to improve.

Release of Rice/Wheat Quota for PDS to Orissa

*148. DR. M. N. DAS: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) the quantity of wheat/rice quota released by Government under the PDS to Orissa during the last three years;

(b) whether Government have received any request from the State Government for increase of the quantity;

(c) if so, action taken thereon; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND THE MINISTER OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Details of the quantity of wheat/rice released under the Public Distribution System (PDS) to Orissa during last three years *viz.* 1995-96, 1996-97 and 1997-98 are as under:—